परियोजना का नामः– जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां–दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 27.10.2014 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री पूरण सिंह चौहान, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री मोहन सिंह बिष्ट, उप राजस्व निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री मदन मोहन जोषी, कनिष्ट अभियन्ताा द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि ...X....हे0, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.665 हे0, वन पंचायत भूमि 0.0 हे0 एवं नाप भूमि 0.385 हे0 प्रभावित होती है। मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की चौड़ाई 7.00 मी0 ली गई है एवं मार्ग का निर्माण 6.00 मी0 चौड़ाई में किया जायेगा। प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 550 मी0 नाप भूमि.से, 950 मी0 सिविल भूमि से, 0.00 मी0 वन पंचायत से 0.00(मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.385 हे0 नाप भूमि 0.665 हे0 सिविल भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 665 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवष्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 166 वृक्ष व नापभूमि 0 बृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 487 मी0 नाप भूमि.से, 1013 मी0 सिविल भूमि, 0.00 मी0 वन पंचायत से 0.00 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में 0.341 हे0 नाप भूमि, 0.709 हे0 सिविल भूमि, 0.345 हे0 वन पंचायत भूमि, 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 0.709 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवष्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 187 वृक्ष व नापभूमि 19 बृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे ।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चुने गये संरेखण का प्रारम्भ होने का स्थल का जी0पी0एस0 मान 79°25'34.5" – E, 30°24'541.9" – N है तथा यह स्थल गडोरा–किरुली–चैतुली मोटर मार्ग के किमी0 4 से प्रारम्भ होता है, समरेखण का अन्तिम स्थल अनुसूचित ग्राम मेहरगांव है, जिसका जी0पी0एस0 मान 79°25'36.7" – E, 30°24'28.8" – N है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है । चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा ।

इस समरेखण पर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु.विभिन्न स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 79°25'36.64"-E, 30°24'36.95"-N, 79°25'36.78"-E, 30°24'28.79"-N हैं।

मलवा निस्तारण हेतु डम्पिंग जोन प्रस्तावित हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता, प्रां0खं0 लो0नि0वि, गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी, गोपेश्वर

तहसीलदार (सदर) चमोली